

भारत में महिलाओं की स्थिति : विविध आयाम

© राम आशीष श्रीवास्तव
मनोज कुमार राव

❖ Publisher :

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Limbaganesh, Dist. Beed (Maharashtra)
Pin-431126, vidyawarta@gmail.com

❖ Printed by :

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Limbaganesh, Dist. Beed, Pin-431126
www.vidyawarta.com

❖ Page design & Cover :

H.P. Office (Source by Google)

❖ Edition: April 2022

ISBN 978-93-92584-22-0

❖ Price : 200/ -



All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic mechanical, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner. Responsibility for the facts stated, opinions expressed. Conclusions reached and plagiarism, If any, in this volume is entirely that of the Author. The Publisher bears no responsibility for them. What so ever Disputes, If any shall be decided by the court at **Beed** (Maharashtra, India)

13

महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

माधवेन्द्र तिवारी

सहायक प्राध्यापक (विधि)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

अभिषेक दुबे

अतिथि व्याख्याता

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

महिला शक्तिकरण वर्तमान मानव समाज की एक प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि यह सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी आधे के बराबर है अतः इनके विकास व सशक्तिकरण की अनदेखी कर समाज व राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। भारत जैसे राष्ट्र में यह आवश्यकता और प्रभावी हो जाती है क्योंकि प्राचीन काल से ही महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी एवं परम्परागत सोच ने महिलाओं की दशा अत्यन्त दयनीय बना दिया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिबन्धों के कारण महिलाये विकास प्रक्रिया में पूर्णतः सम्मिलित नहीं हो पाती जिसके कारण उनके समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें विभिन्न स्तरों पर शोषण संघर्ष व कठिनाईयों सामना करना पड़ता है।

स्वतंत्रता पश्चात् भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। विधि निर्माताओं ने संविधान में उन्हें अनेक

अधिकार प्रदान किया तथा अन्य विधानों के माध्यम से उन्हें समानता की स्थिति में लाने व उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया महिला सशक्तिकरण में सरकार के इन प्रयासों के साथ गैर सरकारी संगठनों ने भी अपने स्तर से विस्तृत प्रयास किये हैं और महिलाओं को संगठित कर उनके क्षमताओं का विकास किया तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु नये-नये उपाय को अपना कर समाज के न्यूनतम स्तर तक महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया को पहुँचाने का कार्य किया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में महिलासशक्तिकरण की अवधारणा एवं क्रियाकलापों का विश्लेषण करते हुये उसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

महिला सशक्तिकरण :-

अर्थ :- महिला सशक्तिकरण से आशय एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिससे महिलाओं को समग्र विकास के नये अवसर प्रदान किया जाता है, उनके शक्ति व सामर्थ्यों को संगठित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाता है। सशक्तिकरण पुनः सशक्त बनाने से सम्बन्धित कार्य है जिससे आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास की प्राप्ति सम्भव होती है। दूसरे शब्दों में वर्णन करें तो महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिससे महिलाओं को उनकी शक्ति, क्षमता व सामर्थ्य का पुनः अहसास करवाया जाता है और उन्हें सशक्त — सक्षम बना कर उनको उनके जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ताकि वे पूर्ण स्वतंत्रता व सक्षमता से अपने जीवन लक्ष्यों को पूरा कर पूर्ण प्रभावशाली ढंग से जीवन यापन कर सकें।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को विकास के अवसर प्रदान करता है तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक व सजग बना कर उन्हें चयन निर्णय का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिला अपनेजीवन लक्ष्यों का निर्णय स्वयं कर सकें तथा पूर्ण स्वावलम्बन से उन्हें प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी एवं निर्भर बन सकें सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया उन्हें मध्यकालीन रूढ़ीगत, परम्परागत सोच विचार व प्रतिबन्धों को तोड़ने उससे बाहर निकालने में सक्षमता प्रदान करता है

और आधुनिक विश्व के साथ कदम से कदम मिला कर चलने की शक्ति प्रदान करता है। महिला सशक्तिकरण मात्र संवैधानिक या राजनैतिक अधिकारों से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व पारिवारिक अधिकारों को प्रदान करता है एवं उसके प्रति जागरूक भी बचाता है ताकि पुरुषों के समान महिलायें भी समाज व राष्ट्र के विकास में सहभागी बन सकें तथा अपने हितों के प्रति संशक्त रह सकें।

संघटित महिला सशक्तिकरण का अर्थ सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक समानता स्वतंत्रता के साथ अवसर व सुविधा की समान उपलब्धता एवं भागीदारी के साथ सुरक्षा, संरक्षण व अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संजगता से है।

यह सशक्तिकरण लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक न्याय जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है जो राष्ट्र के आधी आबादी की दशा एवं दिशा को संवारता है और विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित करवाता है और महिलाओं के सम्मान गरिमा योग्यता में सम्बर्धन कर उनके आत्मशक्ति को विकसित करता है।

महिला सशक्तिकरण के कुछ प्रमुख विशेषतायें या आधार हैं जिनकी सहायता से हम महिला सशक्तिकरण को सहजता से समझ सकते हैं इनमें

- १) महिलाओं की उन्नत एवं सकारात्मक छवि, गरिमा एवं सम्मान
- २) महिलाओं में आत्म-निर्भरता, आत्म सम्मान व आत्म विश्वास की भावना
- ३) विकल्पों का चयन निर्णय लेने की स्वतंत्रता व क्षमता का विकास
- ४) समग्र विकास में समान भागीदारी
- ५) संवैधानिक व राजनैतिक अधिकारों की समझ एवं उसके प्रति जागरूकता शामिल है।

वर्तमान लोकतांत्रिक राष्ट्र व कल्याणकारी राज्यों में महिला सशक्तिकरण एक ज्वलंत विषय है। जो १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही प्रारम्भ हो चुका था। मानव इतिहास के इस समयकाल से ही नारी अस्मिता व गरिमा को पुरुषों के समान मानने व उन्हें समान

वानाने की मांग उठती रही है इंग्लैन्ड की मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने १७९३ ये अपनी प्रसिद्ध प्रस्तुक विन्डीकेपन ऑफ द राइस ऑफ वुमें में महिला सशक्तिकरण के पक्ष में प्रथम बार विचार प्रस्तुत किये थे। १८६९ में जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपने पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में पुरुषों के वर्चस्व की स्वीकार्यता से अत्याचार मान्यताओं, संस्कारी रूढ़ियों पर पण चिन्ह लगाते हुए सदियों से हो रहे शोषण व अस्याचारों का विरोध किया था और स्त्री — पुरुष के बीच पूर्ण समानता का समर्थन किया। इतिहास के इसी समयकाल से दुनिया भर में महिलाओं के प्रति समानता व उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी। भारत में भी महिला सशक्तिकरण के प्रयास प्राचीन कालों से ही विभिन्न विद्वानों द्वारा किया जाता रहा है भारतीय मनीशी स्वामी विवेकानन्द का यह कथन महिला सशक्तिकरण के लिए सत्य प्रतिति होता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना दुनिया का कल्याण सम्भव नहीं है। विवेकानन्द जी के ये विचार महिला सशक्तिकरण के महत्व को प्रदर्शित करता है गाँधी जी ने भी महिला सशक्तिकरण के महत्वों का वर्णन करते हुए कहा है कि मानसिक क्षमता या अन्य किसी भी मायने में नारी पुरुषों से कम नहीं है बल्कि कइ मायनो में तो पुरुषों से श्रेष्ठ है गाँधी जी ने अपने अनेक सामाजिक — राजनैतिक कार्यक्रमों में महिलाओं को सलाह दिया कि वे अपने को पुरुषों से कम न समझे तथा अपने ऊपर अवांछित सामाजिक दबाव या प्रतिबंधों का बाहिष्कार करें, पुरुष व नारी के अधिकार समान है। यदि पुरुष देवता है तो नारी भी देवी है।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण महिलाओं को परम्परागत रूढ़ियों, प्रतिबन्धों, अवांछित सामाजिक दबावों से मुक्त करने तथा उनके खोये हुए सम्मान गरिमा व अस्तित्व को पुनः प्राप्त करनेका मार्ग है। जिससे नारी भयमुक्त हो कर पूरी क्षमता, शक्ति वसामर्थ्य से विकास प्रक्रियामें सहभागी हो सके और आपने जीवन हेतु निर्णय करने में सक्षम हो सके महिला सशक्तिकरण महिला में सबलता स्वावलम्बन व आत्म विश्वास का प्रतीक है जो उसके समग्र विकास का साधन है

महिला सशक्तिकरण का महत्व :-

मूलतः महिलासशक्तिकरण महिलाओं के आन्तरिक बाह्य क्षमताओं के संवर्धन की एक प्रक्रिया है। जो उसमें आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास का विकास कर उसे सुक्ष्म व प्रभावशाली बनाता है जिससे महिला आपनी क्षमताओं को संगठित कर अपने को सशक्त बनाती है। और अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वयं को मजबूत बनाती है।

महिला सशक्तिकरण के महत्व की विवेचना हम कुछ प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं—

(१) महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अपने ऊपर प्राचीन व मध्यकालीन प्रतिबन्धों, अपनी असामान्य सामाजिक स्तर परम्परा प्रथा रूढ़ियों से मुक्त होने, अपने खोये हुए सम्मान व स्तर को पुनः प्राप्त करने का तरीका है।

(२) महिला सशक्तिकरण समाज या विश्व में व्याप्त असमानता, भेदभाव, शोषण, अत्याचार व पुरूष सत्ता के नियंत्रणों से मुक्त होकर समानता स्वतंत्रता प्राप्त करने एवं आने गरिमा सम्मान एवं अस्तित्व की रक्षा का एक प्रमुख व प्रभावी मार्ग है ।

(३) महिला सशक्तिकरण अपनी प्रक्रिया से महिलाओं के आत्मविश्वास को जागृत करता है उन्हे सामाजिक दबाव व पुरूषों के पराधिनता की बेड़ियों को तोड़ने व अपने को आत्मनिर्भर स्वावलम्बी बनाने की प्रक्रिया है।

(४) महिला सशक्तिकरण से महिलाओ का अधिकतम व बहु-आयामी विकास होता है। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक व पारिवारिक क्षेत्र मे स्वतंत्रता व समानता के अधिकार प्राप्त होते है जिससे वे अपने विकास को सम्भव बनाकर पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन यापन कर सकती है।

(५) महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया से महिला अपने विविध प्रकार के अधिकारों के प्रति सजग व जागरूक होती है और इन अधिकारों प्रयोग से अपने जीवन को संवारने का कार्य पूर्ण आत्मविश्वास से करती है।

- (६) महिला सशक्तिकरण महिलाओं को निर्णय लेने में समक्षम बनाता है। ऐसे निर्णय उसके जीवन आयाम से सम्बन्धित होते हैं जिसमें वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेकर अपने हितों की प्रतिपूर्ति करती है।
- (७) महिला सशक्तिकरण का सबसे व्यापक महत्व महिलाओं को उनकी शक्ति व क्षमता का अहसास करवाने उन्हें समग्र रूप से सशक्त व सतुलित बनाने में है। जिससे महिला पूर्णक्षमता से विकास प्रक्रिया में भागीदार बनती है और अपने वैयक्तिक विकास के साथ समाज व राष्ट्र के विकास में भी सहयोग करती है।
- (८) महिला सशक्तिकरण समानता सामाजिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य जैसे उच्च आदर्शों व मूल्यों के स्थापना का प्रमुख साधन है जिससे समाज व राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक विकास को भी बल मिलता है।
- (९) महिला सशक्तिकरण सामाजिक बदलाव या परिवर्तन का भी एक प्रमुख साधन है जिससे सामाजिक मान्यता व परम्परा में बदलाव होता है और ऐसे सामाजिक नियम जो स्त्रियों को नियंत्रित व प्रतिबंधित करते हो उन पर आयोग्यता लागाते हो उनमें महिला सशक्तिकरण से परिवर्तन व सुधार सम्भव होता है।
- (१०) महिला सशक्तिकरण महिलाओं को अनेकों सुविधाये व अवसरों को प्राप्त करने एवं उससे अपने विकास को सम्भव बनाने का अवसर देता है। सशक्तिकरण से महिलाओं में चेतना, जागरूकता आती है एवं उनमें आत्मविश्वास आत्मनिर्णय की क्षमता विकसित होती है जो उनमें गुणात्मक परिवर्तन लाती है।

स्पष्ट है आज प्रत्येक राष्ट्र के विकास हेतु महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख आवश्यकता बन गयी है। प्रत्येक राष्ट्र इसके लिए विविध स्तरों से प्रयासरत भी है ताकि राष्ट्र के आधी जनसंख्या की शक्ति व क्षमता को सशक्त बनाकर उसका उपयोग राष्ट्र के विकास

को वास्तविक बनाया जा सके।

महिला सशक्तिकरण में प्रमुख अवरोध :-

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया या क्रियाकलाप को प्रभावित करने में कुछ अवरोधक सदैव प्रकट होते हैं जिन्हें हम निम्न रूप से वर्णित कर सकते हैं:-

(१) महिला सशक्तिकरण जैसी प्रक्रिया व क्रियाकलाप के सन्दर्भ में महिलाओं में ज्ञान व जागरूकता की कमी एक प्रमुख अवरोधक प्रकट होता है।

(२) महिलाओं में आत्मचेतना आत्मविश्वास की कमी भी एक अवरोध का कार्य करती है।

(३) महिला सशक्तिकरण हेतु सामूहिक संगठन व जागरूकता आवश्यक है जिसकी कमी सशक्तिकरण प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

(४) समाज में व्याप्त पुरुष सत्ता व प्रधानता, सामाजिक कुरिति व नियम सदैव सबसे बड़े अवरोधक के रूप में प्रकट होते हैं।

(५) महिलाओं में अशिक्षा, कौशल, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पराधिनता एवं अनुभवहीनता भी महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया को प्राभक्ति करता है।

(६) महिलाओं में आत्मसम्मान, गौरव गरीमा व अस्मिता के प्रति समझ व चेतना की कमी भी एक बड़े अवरोधक के रूप में प्रकट होती है।

(७) संविधानिक अधिकार कानूनी व राजनैतिक अधिकार के प्रति अजागरूकता या उसके व्यवहारिक प्रयोग के प्रति असमझ भी महिलाओं को प्रभावित करता है तथा उनके सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।

(८) महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार के प्रति चुप रहने उसे सहने हुये उसके प्रति अनुकूलित रहने की प्रवृत्ति भी बड़े अवरोध के रूप में प्रकट होती है।

(९) सामाजिक धार्मिक अयोग्यता, बधन व प्रतिबंध भी महिलाओं

के उत्थान व सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।

(१०) आत्मनिर्भरता को कमी व निर्णय न लेने की क्षमता भी एक बड़ी बाधा है।

(११) महिलाओं को राजगार व्यवसाय की पर्याप्त अस्वतंत्रता, आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों का वर्चस्व महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा के रूप में प्रकट होता है।

(१२) सरकारी योजना आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक प्रश्नों का वास्तविक स्तर पर क्रियान्वयन में असफलता व आधिकारों तथा विभिन्न नियम अधिनियम का प्रत्यक्ष लाभ न मिल पाना भी एक प्रमुख बाधा है।

संगठन: महिला सशक्तिकरण के प्रायोगों में अनेक बाधा व अवरोध सदैव प्रकट होते हैं जो देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परन्तु ऐसे अवरोध सशक्तिकरण के मार्ग में सदैव उसे विचलित व प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जिसका निराकरण आवश्यक है। ताकि महिलाओं को सीधे व प्रभावी ढंग से सुविधा प्रदान कर उनके सशक्तिकरण को सम्भव बनाया जा सके।

गैर सरकारी संगठन :-

गैर सरकारी संगठन मानव व समाज के विकास में केन्द्रित ऐसे संगठन हैं जो अपने अनोखे व आधुनिक उपायों से विकास प्रक्रिया एवं समस्या के समाधान में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे संगठन समाज के न्यूनतम स्तर तक अपनी सेवा को पहुँचाते हैं और जन कल्याण हेतु निरन्तर प्रयासरत रहते हैं।

गैर सरकारी संगठन मूलतः सरकारी विधानों में पंजीकृत सोसाइटी, संस्था या संगठन मानव का एक संगठित समूह है जो अपने निर्धारित उद्देश्य हेतु कार्यक्रम करते हैं। ऐसे संगठनों के अपने साधन व संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग बिना किसी लाभ के उद्देश्यों को रखते हुए सामाजिक कल्याण में करते हैं।

विश्व बैंक गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित करते हुए कहता है कि गैर सरकारी संगठन एक निजी संगठन है जो लोगों का

दुख—दर्द दूर करने निर्धनों के हितों का सर्वधन करने, पर्यावरण की रक्षा करने बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियाँ चलाते हैं।

डेविड एल. सिल्स कहते हैं कि गैर सरकारी संगठन इसके सदस्यों के कृच्छक सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु राज्य नियंत्रण के बिना स्वैच्छिक सहायता के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समुह है। स्पष्टतः गैर सरकारी संगठन व्यक्तियों का एक संगठित समुह या संगठन है जो सरकारी नियंत्रण या हस्तक्षेप के बिना अपने निर्धारित उद्देश्यों हेतु विधानों में पंजीकृत होता है और अलाभकारी उद्देश्यों के आधार पर अपने लक्ष्य को पूरा करता है ऐसे संगठनों का लक्ष्य सामाजिक विकास व मानव कल्याण मात्र होता है। जो अपने सिमित संसाधनों से मानव के सेवा हेतु प्रबिद्ध होता है। गैर सरकारी संगठनों के स्वरूप एवं विशेषताओं की गहनता से विश्लेषण करे तो इसके अर्थ को अधिक विस्तृत ढंग से समझ सकते हैं जिन्हें हम निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्रकट कर सकते हैं।

- (१) गैर सरकारी संगठन ऐसे मानव का समुह है जिसके सदस्य एक निश्चित उद्देश्यों में विष्वास रखते हैं तथा सहभागी प्रयासों से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
- (२) गैर सरकारी संगठन सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक स्वपामी निकाय के रूप में कार्य करता है हालांकि इन संगठनों का पंजीकरण किसी निश्चित विधि के अंतर्गत आवश्यक होता है परन्तु ये अपने योजना नियम व कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
- (३) गैर सरकारी संगठन सदैव अलाभकारी प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात् इनका उद्देश्य लाभ कमाना या धनोपार्जन नहीं होता है।
- (४) गैर सरकारी संगठन अपने आर्थिक स्रोत व संसाधन की व्यवस्था स्वयं करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को पूरा करते हैं।
- (५) गैर सरकारी संगठन अपने पंजीकरण के दौरान कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं जिनके लिए अपने कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।

ऐसे उद्देश्य सेवा व कल्याण होता है जो समाज एक राष्ट्र के विकास में सहयोगी होता है ।

स्पष्ट है गैर सरकारी संगठन एक पंजीकृत स्वशासी निकाय है जो मानव कल्याण एवं विकास के लिए संगठित प्रयास करता है और पूर्ण स्वतंत्रता व सक्षमता से अपने लक्ष्यों का प्राप्त करने का प्रयास करता है।

महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका:—

जैसा की स्वैच्छिक है कि गैर सरकारी संगठन सदैव अपने स्तर से मानव एवं समाज के विकास हेतु कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन है ऐसे संगठन समाज की संरचना एवं विकास प्रक्रिया में व्याप्त अवरोध एवं कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रभावी ढंग से कार्य करते है और अपने नवीन ज्ञान दृष्टिकोण व उपायों के प्रयोग से समाज में समानता न्याय और उन्नति के लिए कार्य करते है।

समाज की आधी आवादी जो विभिन्न कारणों से विकास प्रक्रिया में सहभागी नहीं हो पा रही है तथा अपने स्थितियों में घुट-घुट कर जीवन यापन कर रही है उन्हें उनके शक्ति का पुनः एहसास करवाने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका सदैव अग्रणह रही है। हालांकि वैधानिक व सरकारी प्रयास भी महिला सशक्तिकरण के लिए अवश्य किये जा रहे है परन्तु ऐसे प्रयास व कार्यक्रम समाज के प्रत्येक स्तर तक पहुँचाने में निष्प्रभावी सिद्ध हो जाते है। ऐसे में महिलाओं का उत्थान व उसके सशक्तिकरण के प्रयासों को जमीन स्तर तक पहुँचाने व उन्हें प्रभावी तरिके से फलीभूत करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

गैर सरकारी संगठनों का समाज एवं समुदाय से सम्बन्ध अत्यन्त प्रभावी व प्रत्यक्ष होता है ऐसे संगठन लोगों के साथ मिल जुल कर ही कार्य करते है और अपनी सेवा-सुविधा या योजना को सीधे तौर पर समाज में लागू करते है जिससे इनकी छवी व प्रतिष्ठा समाज में अत्यन्त प्रभावशाली होता है। गैर सरकारी संगठन अपने इन्ही सम्बन्धों के आधार पर समाज में महिलाओं के उत्थान व

सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं और महिलाओं को असमानता अन्याय व उत्पीड़न से निकालने का प्रयास करते हैं।

गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण हेतु समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हैं और महिलाओं से सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर उन्हें शक्तिशाली एवं सामर्थ्यवान बनाने का कार्य करते हैं जिसके लिए मुख्यतः सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में आवश्यक सहाय्य व जागरूकता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा सशक्तिकरण के क्रियाकलापों में मुख्यतः जागरूकता व चेतना, शिक्षण प्रशिक्षण, कानूनी सहयोग, संगठन एवं सहभागीता जैसी सुविधाओं को प्रदान किया जाता है ताकि उनमें अपनी स्थिति, परिस्थिति के प्रति सजगता आये और वे स्वयं आत्मनिर्भर बनकर सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर हो सकें। साथ ही गैर सरकारी संगठन सामाजिक नियमों परंपराओं प्रथा व रूढ़ियों में परिवर्तन लाते हैं जो महिला सशक्तिकरण व कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं।

महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन अधिक बेहतर ढंग से करते हुए इनकी भूमिका को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(१) समाज की समग्र संरचना में व्याप्त भेदभाव असमानता व अन्याय को समाप्त करने में गैर सरकारी संगठन समाज में निरन्तर जागरूकता व चेतना का प्रवाह करते हैं। ताकि समाज स्वयं ऐसे कुरितियों रूढ़ियों प्रथाओं में परिवर्तन हेतु अग्रसर हो।

(२) महिलाओं को उनकी आत्मशक्ति क्षमता व सामर्थ्य की पहचान गैर सरकारी संगठन प्रभावी ढंग से करवाते हैं और उनमें आत्मचेतना व आत्मविश्वास का संचार करते हैं।

(३) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को उनके गरीमा सम्मान व अस्तित्व के प्रति नयी चेतना प्रदान करते हैं जिससे महिलाओं में परिवर्तन व सुधार के नये दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

(४) गैर सरकारी संगठन महिलाओं के उनके हितों व अधिकारों के

प्रति जागरूक बनाते हैं और उन्हें प्राप्त अधिकारों के व्यवहारिक प्रयोग के प्रति समझ भी विकसित करते हैं।

- (५) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को महिलाओं को समस्त प्रकार के शोषण उत्पीड़न अयोग्यता व बंधनों से मुक्त बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं।
- (६) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के महत्व व आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाते हैं और उन्हें अपनी शक्ति को संगठित करने में सहयोग देते हैं।
- (७) महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक स्वतंत्रता व समानता प्राप्त करने तथा पुरुषों के समान स्वीकृति व मान्यता प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- (८) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें कौशल व गुणों का विकास करते हैं जिससे महिलाओं के दशा में गुणात्मक परिवर्तन आये और वे आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बन सकें।
- (९) गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण व कल्याण हेतु सभी सरकारी योजना व कार्यक्रम को समाज के न्यूनतम स्तर पर मौजूद महिला को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करते हैं जिससे महिला उत्थान व कल्याण की सभी योजना सफल हो सके।
- (१०) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को उनके हितों के प्रति इतना सजग बनाते हैं कि वे स्वयं अपने जीवन विकल्पों का पहचान कर सबसे योग्यताम निर्णयों को लेने में सक्षम बन सकें।
- (११) गैर सरकारी संगठन महिलाओं हेतु विभिन्न प्रकार के समुह संगठन निर्मित करते हैं जिसमें महिलायें परस्पर सहभागी बन के अपने सामूहिक शक्ति को संगठित करती हैं और अपने जीवन आयामों में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण अपने सामूहिक शक्ति से सम्भव बनाती हैं।
- (१२) गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण के विषय पर विभिन्न प्रकार के बैठक संगोष्ठी सेमिनार जैसे अनेक कार्यक्रम

आयोजित कर महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित सभी नव उपक्रमों को प्रोत्साहित करने है एवं यह विचार विमर्श करते है।

(४.३) यह सरकारी संगठन महिलाओं के सामाजिक स्थिति के समग्र में सरकारी की सहाय - सहाय पर जोर देकर करते है तथा महिलाओं के हितों से सम्बन्धित सभी नवीन विचारों व कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास आदर्शित करते है जिससे सरकारी में भी इन विचारों व प्रोत्साहन को बढ़ावा देने में सहायता मिले सके है।

(४.४) यह सरकारी संगठन अपने स्तर पर निश्चित प्रकार की योजना परिष्कारित करना कर महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व शक्ति प्राप्त करने है तथा इन सहाय को बढ़ावा देने के लिए इन विचारों प्रोत्साहन में सहयोग करने का प्रयास करता है।

भारत है यह सरकारी संगठन महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण में सही दिशा में भूमिका रही है एवं संगठनों की भूमिका स्वीकार्य प्रमाण होती है परन्तु इनके कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह संगठन समाज के विचार, स्तर पर भी महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी सेवा व शक्ति को बढ़ावा देने में प्रयास करते है और महिलाओं के सामूहिक विकास में सहयोग करने वाले है।

उपसंहार

मिस्री की ऐतिहासिक व वर्तमानकालीन राज्य में राष्ट्र की समग्र जनसंख्या का विकास व वर्तमान अवस्था महत्वपूर्ण यह है जिससे कि राष्ट्र में सरकार के साथ प्रत्येक स्तर की सहभागिता अनिवार्य है एवं में जनसंख्या की सभी आयामी महिला जो विभिन्न प्रकार की अवसरानुसार अवसर व दुर्भावना का विकास है जो अपने अवसरपूर्ण सामाजिक आर्थिक स्थिति को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगी है इसके उत्थान व सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक व वर्तमानकालीन मुख्य व आदर्श की स्थापना सम्भव रही है।

सामाजिक महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य व शक्तिमान इन विभिन्न प्रकार के उपक्रम विचार लगे है, सरकार की विचार विधान व कार्यक्रमों को बढ़ावा देने कर महिला सशक्तिकरण का प्रयास प्रारम्भ

करते हैं परन्तु समाज के ऐसे प्रयास महिलाओं के उत्थान में निष्पत्ती हो जाती है या अल्पसंख्यक श्रेणी से लक्ष्योन्मुख होता है ऐसे में मानव व समाज के विकास व कल्याण हेतु निर्मित स्वैच्छिक संगठन या फिर सरकारी प्रयासों के साथ साथ अपने संगठन के माध्यम से समाज के अल्पसंख्यक वर्ग में परिवर्तन एवं सुधार का प्रयास कर महिलाओं को उनकी दीन स्थिति से निकाल कर उन्हें सक्षम व सशक्त बनाये तथा उन्हें उनके आत्मशक्ति व आत्मविश्वास से परिचित कराकर उन्हें स्वावलम्बी व आत्म निर्भर बनाये।

महिला सशक्तिकरण या महिला कल्याण व विकास के मार्ग में सक्षम की भागीदारी आवश्यक है जिसके लिए यह सत्कारी संगठन जिन्हें कल्याण काली या विकास संगठन भी कहा जाता है उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण व प्रभावी हो जाती है।

संदर्भ सूची :-

- (१) चौधरी, कृष्णचन्द्र (२००६) महिला सशक्तिकरण सम्पूर्ण पद्य, प्रकाशन विभाग, मुम्बई और प्रकाशन मन्त्रालय भारत सरकार।
- (२) गर्मा, परियत्र कुमार (२०१२) महिला शक्ति एवं नारी उत्थान, गदना प्रकाशन, जयपुर।
- (३) गर्मा, योगेन्द्र (२००६) महिला सशक्तिकरण : टका और टिका, लोकभारती प्रकाशन।
- (४) शूक्ला, परश्वती (२०१६) भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, कृष्णेश्वर, टिरोल्लूर।
- (५) भट्ट, इला अम्बर (२०१६) महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, योजना, सिरोल्लूर।
- (६) गर्मा, प्रज्ञा (२००८) महिला: लैंगिक असमानता एवं अक्षमता, अर्थिक सशक्तिकरण परियोजना रिपोर्ट्स, जयपुर।
- (७) टिरोल्लूर, शशेश (२००५) महिला सशक्तिकरण - चरनीनियाँ एवं सशक्तिकरण, पूर्वीय प्रकाशन भोपाल।